International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 7.328
Vol.8 No.3 Jan – Feb 2021

भारत में धर्मों का उदय और वैदिक धर्म का विकास

डॉ. संजीव कुमार राकेश

पीएचडी (फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस),

मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार

शोधसार:

भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज, दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म का यहाँ की संस्कृति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत विश्व की पाँच प्रमुख धार्मिक परम्पराओं का जन्मस्थान है - हिन्दू धर्म,बौद्ध धर्म,जैन धर्म, सिख धर्म तथा सरना धर्म ।भारतीयों का एक विशाल बहुमत स्वयं को किसी न किसी धर्म से सम्बन्धित अवश्य बताता है। भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिन्दू धर्म का अनुसरण करते हैं।] इस्लाम (15.23%), बौद्ध धर्म (0.70%), ईसाई पन्थ (2.3%) और सिख धर्म (1.72%), भारतीयों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म हैं। आज भारत में उपस्थित धार्मिक आस्थाओं की विविधता, यहाँ के स्थानीय धर्मों की उपस्थिति तथा उनकी उत्पत्ति के अतिरिक्त, व्यापारियों, यात्रियों, आप्रवासियों, यहाँ तक कि आक्रमणकारियों तथा विजेताओं द्वारा भी यहाँ लाए गए धर्मों को आत्मसात करने एवं उनके सामाजिक एकीकरण का परिणाम है। सभी धर्मों के प्रति हिन्दू धर्म के आतिथ्य भाव के विषय में जॉन हार्डन लिखते हैं, "हालाँकि, वर्तमान हिन्दू धर्म की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा एक ऐसे गैर-हिन्दू राज्य की स्थापना करना है जहाँ सभी धर्म समान हैं।

मौर्य साम्राज्य के समय तक भारत में दो प्रकार के दार्शनिक विचार प्रचलित थे, श्रमण धर्म तथा वैदिक धर्म. इन दोनों परम्पराओं का अस्तित्व हजारों वर्षों से साथ-साथ बना रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण परम्पराओं से निकल कर आये हैं, जबकि आधुनिक हिन्दू धर्म वैदिक परम्परा का ही विस्तार है। साथ-साथ मौजूद रहने वाली ये परम्पराएं परस्पर प्रभावशाली रही हैं। पारसी धर्म और यहूदी धर्म का भी भारत में काफी प्राचीन इतिहास रहा है और हजारों भारतीय इनका अनुसरण करते हैं। पारसी तथा बहाई धर्मों का पालन करने वाले विश्व के सर्वाधिक लोग भारत में ही रहते हैं। भारत की जनसंख्या के 0.2% लोग बहाई धर्म का पालन करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषित किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतन्त्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार हैं। (इन गतिविधियों पर नैतिकता, कानून व्यवस्था, आदि के अन्तर्गत उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं. भारत के संविधान में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गयी है। भारत के नागरिक आम तौर पर एक दूसरे के धर्म के प्रति काफी सहिष्णुता दर्शाते हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, हालाँकि अन्तर-धार्मिक विवाह व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय के अनुसार मुसलमानों के लिए शरियत या मुस्लिम कानून को भारतीय नागरिक कानून के ऊपर वरीयता दी जायेगी। विभिन्न समुदायों के बीच दंगों को सामाजिक

मुख्यधारा में अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है और आमतौर पर यह माना जाता है, इन धार्मिक संघर्षों का कारण विचारों में मतभेद की बजाय राजनैतिक होता है। (As per Bray, G. (1930). The story of leprosy at Nauru. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 23(9), 1370-1374.)

परिचय:

वैदिक धर्म का विकास :

हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में मानी जाती है , भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक धर्म की मौजूदगी के साक्ष्यों को बिखरी हुई मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स (पत्थर पर बनाये गए चित्र) पर देखा जा सकता है जिनमें कई प्रकार के नृत्यों तथा रस्मों को दर्शाया गया है। सिंधु नदी की घाटी में बसने वाले नीयोलिथिक पुरोहितगण अपने मृत-जनों को धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाते थे, जिससे मृत्यु पश्चात जीवन तथा जादुई आस्थाओं में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है।केन्द्रीय मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स तथा पूर्वी कर्नाटक के कुपगल पेट्रोग्लिफ्स जैसी दक्षिण एशिया की अन्य पाषाण युग की साइटों (स्थलों) के पत्थरों में पाए जाने वाले चित्रों में धार्मिक संस्कारों को दर्शाया गया है तथा रीति-रिवाजों के लिए संगीत के इस्तेमाल किये जाने के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। 3300-1700 ई.पू. तक अस्तित्व में रहने वाली और सिंधु तथा घग्गर-हकरा नदियों की घाटियों के इर्द-गिर्द केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पाई लोग संभवतः प्रजनन की प्रतीक रूपी एक महत्वपूर्ण देवी मां की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में मिलने वाली मुद्राओं में जानवरों और "अग्नि-वेदियों" को दिखाया गया है, जो अग्नि से संबंधित अनुष्ठानों की ओर संकेत करते हैं। एक लिंग-योनि को भी प्राप्त किया गया है जो हिंदुओं द्वारा वर्तमान में पूजनीय शिव लिंग के ही समान है।

चुनौती:

4 वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर (599-527 ई०पू०, या सम्भवतः 549-477 ई०पू०), ने पाँच प्रतिज्ञाओं पर बल दिया है, जिनमें अहिंसा तथा अस्तेय (चोरी न करना) शामिल हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले 28 वें बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का जन्म मगध (जिसका अस्तित्व 546-324 ई०पू० तक रहा) के उत्कर्ष से ठीक पहले शाक्य वंश में हुआ था। उनका परिवार वर्तमान के दक्षिणी नेपाल स्थित लुम्बिनी के मैदानी इलाकों में रहता था। भारतीय बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर था। सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया और तीसरी शताब्दी ई०पू० में भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। उन्होंने धर्म-प्रचारकों को देश-विदेश में चारों तरफ भेजकर एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करने में सहायता की। कुषाण साम्राज्य तथा मगध और कौशल जैसे राज्यों द्वारा प्रदान किये

जाने वाले संरक्षण के खतम होने के बाद भारतीय बौद्ध धर्म का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि 400 ई०पू० तथा 1000 ई० के बीच, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के जारी रहने के साथ हिन्दू धर्म का विस्तार हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म भारत में प्रभावी रूप से विलुप्तप्राय हो गया। यद्यपि इस्लाम भारत में अरब व्यापारियों के आगमन के साथ 7 वीं शताब्दी की शुरुआत में आया था, एक प्रमुख धर्म के रूप में इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिमों की विजय के साथ ही प्रारंभ हुआ। भारत में इस्लाम का विस्तार मुख्यतः दिल्ली सल्तनत (1206-1526) तथा मुग़ल साम्राज्य के दौरान हुआ और रहस्यवादी सूफी परंपरा का इसमें काफी योगदान रहा है।

भक्ति आन्दोलन:

14-17 वीं शताब्दी के दौरान जब उत्तर भारत मुस्लिम शासन के अधीन था, भक्ति आन्दोलन मध्य तथा उत्तरी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। इस आन्दोलन की शुरुआत शिक्षकों तथा सन्तों के एक अनौपचारिक समूह द्वारा की गयी थी। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीरा बाई, कबीर, तुलसीदास, रविदास, नामदेव, तुकाराम,जम्भेश्वरजी और अन्य मनीषियों ने उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सिखाया कि लोग रीति-रिवाजों तथा जाति-धर्म और पाण्डित्य की गूढ़ताओं के व्यर्थ के भार का त्याग करके ईश्वर के प्रति अपने असीम प्रेम को साधारण तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न भारतीय राज्यों और प्रान्तों की स्थानीय भाषाओं में गद्य तथा कविताओं के रूप में भक्ति साहित्य की बाढ़ सी आ गयी थी। भक्ति आन्दोलन, सम्पूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत में कई अलग-अलग आन्दोलनों के रूप में फैल गया। हालाँकि उत्तर भारत में, भक्ति आन्दोलन तथा शिया मुसलमानों के चिश्ती नाम से प्रसिद्द सूफी आन्दोलन के बीच अन्तर कर पाना मुश्किल है। मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने इसे सूफियाना विचार के तौर पर अपनाया जबकि हिन्दुओं ने वैष्णव भक्ति के रूप में। (As per Bond, C. and Singh, D. (2020). More than a refresh required for closing the gap of Indigenous health inequality. *Medical Journal of Australia, 212*(5), 198-199.)

सिख धर्म:

गुरु नानक (1469-1539) सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु ग्रन्थ साहिब को पहली बार सिखों के पाँचवें गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था। इसके लिए उन्होंने सिखों के पहले पाँचों गुरुओं तथा सार्वभौम भाईचारे की शिक्षा देने वाले अन्य सन्तों के लेखन का सहारा लिया, जिनमें हिन्दू सन्त तथा मुस्लिम मौलवी भी शामिल थे। गुरु गोबिन्द सिंह की मृत्यु से पहले गुरु ग्रन्थ साहिब को अनन्त गुरु घोषित कर दिया गया। सिख धर्म में सभी लोगों को वाहेगुरु के समक्ष रंग, जाति या वंश की परवाह किये बिना समान माना गया है। गुरु नानक के उपदेश, धर्म की परवाह किये बिना सभी मनुष्यों पर

समान रूप से लागू होते हैं। इस कृत्य के लिए, उन्होंने अन्य आस्थाओं के शब्दकोशों के धार्मिक शब्दों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया और उनको पुनर्परिभाषित भी किया। गुरु नानक ने अपने प्रसिद्ध वाक्य, "न तो कोई हिन्दू है और न ही मुसलमान", द्वारा मनुष्य के शाश्वत इश्वर के साथ मिलन को साम्प्रदायिकता के खिलाफ अपने उपदेश के रूप में परिभाषित किया है।

सिखों का हरमन्दिर साहिब या गोल्डेन टेम्पल

ईसाई धर्म का उद्गम:

भारत में ईसाई धर्म:

हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य पहली सदी से ही भारत में ईसाई धर्म की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, इसकी लोकप्रियता यूरोपीय उपनिवेशवाद और प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के प्रयासों के बाद ही बढ़ी.

पॉल डूंडास लिखते हैं कि 19वीं सदी के अधिकांश ब्रिटिश विद्वानों को "जैन धर्म की स्वतंत्र प्रकृति तथा उत्पत्ति के विषय में कोई संशय नहीं था". एक विद्वान ने लिखा है कि जैन, पारसी, तथा सिक्ख जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों में "ब्राह्मणों की पूजा पद्धति से कुछ भी मिलता-जुलता नहीं था".[48] एक अन्य विद्वान ने 1874 में कहा कि जैनियों को हिंदू कानूनों के तहत नहीं लाया जा सकता क्योंकि "हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू कानून का मूल माने जाने वाले शास्त्रों के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस दायरे से बाहर है तो उसपर हिन्दू कानून लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह अवश्य कहा कि, "भारत की एकदम शुरुआती जनगणनाओं से पता चलता है कि कई जैन लोग तथा अन्य धार्मिक समूहों के सदस्य स्वयं को वास्तव में हिंदू धर्म के ही एक प्रकार के रूप में देखते थे और, 1921 की पंजाब की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 'जैनियों तथा सिखों की एक बड़ी संख्या द्वारा हिंदुओं से अलग वर्गीकृत किये जाने के प्रति अनिच्छा के कारण, उन व्यक्तियों को जैन-हिंदू तथा सिख-हिंदू के रूप में दर्ज किये जाने की अनुमति दे

दी गयी". उन्होंने माना कि "गणनाकारों के पूर्वाग्रह" ने जनगणना को अवश्य प्रभावित किया था। इसके अलावा वे कहते हैं कि "जैन-हिन्दू" शब्द एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता मात्र था". सिक्ख धर्म की शुरुआत सोलहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में नानक तथा उनके बाद आने वाले नौ अन्य गुरुओं के उपदेशों के फलस्वरूप हुई। 2001 तक भारत में 19.2 मिलियन सिक्ख थे। पंजाब सिक्खों का आध्यात्मिक घर है और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिख बहुमत में हैं। सिक्खों की एक बड़ी संख्या पड़ोस के नई दिल्ली तथा हरियाणा राज्यों में भी रहती है। 2001 की जनगणना के अनुसार पारसी (भारत में पारसी धर्म के अनुयायी) लोग भारत की कुल जनसंख्या का 0.006% हैं, और अपेक्षाकृत रूप से मुंबई शहर तथा उसके आसपास ही केंद्रित हैं। भारत में पारसियों की संख्या लगभग 61,000 है और 2001 की जनगणना के अनुसार में मुख्यतः मुंबई के आसपास ही केंद्रित हैं। डोंयी-पोलो तथा महिमा जैसे कुछ आदिवासियों के धर्म भी भारत में मौजूद हैं। संथाल भी, संथाल लोगों द्वारा माने जाने वाले कई आदिवासी धर्मों में से एक है; संथाल लोगों की कुल संख्या लगभग 4 मिलियन है लेकिन इस धर्म को मानने वालों के संख्या मात्र 23,645 ही है। भारत में लगभग 2.2 मिलियन लोग बहाई आस्था के अनुयायी हैं, इस प्रकार यह विश्व में बहाई लोगों का सबसे बड़ा समुदाय है।[50] दक्षिण भारत में प्रचलित 'अय्यावाझी' को आधिकारिक तौर पर एक हिंदू संप्रदाय माना जाता है और जनगणना में उसके अनुयायियों की गिनती हिंदुओं के रूप में की है। आज भारतीय यहूदियों का समुदाय बहुत ही छोटा है। ऐतिहासिक रूप से भारत में काफी अधिक यहूदी रहा करते थे, जिनमें शामिल हैं, केरल के कोचीन यहूदी, महाराष्ट्र के बेन इस्राएल और मुंबई के निकट बगदादी यहूदी. इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता के बाद से भारत में मुख्यतः दो परिवर्तित (प्रोसीलाईट) यहूदी समुदाय रह रहे हैं: मिजोरम, मणिपुर के नेई मेनाशे, तथा बेने एफ्राइम जिन्हें तेगुलू यहूदी भी कहा जाता है। भारतीय मूल के लगभग 95,000 यहूदियों में से भारत में अब 20,000 से भी कम बचे हैं। भारत के कुछ हिस्से इस्राइलियों में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और त्योहारों के मौसम में उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है।

आँकड़े (सांख्यिकी):

भारत के धार्मिक समुदायों के आँकड़े निम्नलिखित हैं (2011 जनगणना):

धर्म	जनसंख्या	प्रतिशत
सभी धर्म	1,028,610,328	100.00%
हिन्दू	827,578,868	80.5%
मुसलमान	138,188,240	13.4%
ईसाई	24,080,016	2.3%
सिख	19,215,730	1.9%
बौद्ध	7,955,207	0.8%
जैन	4,225,053	0.4%
बहाई	1,953,112	0.18%
अन्य	4,686,588	0.32%
धर्म का खुलासा नहीं किया	727,588	0.1%

धार्मिक समूहों की विशेषताएँ:

धार्मिक समूह	जनसंख्या %	विकास (1991-2001)	लिंग अनुपात (कुल)	साक्षरता (%)	कार्य में भागीदारी (%)	लिंग अनुपात (ग्रामीण)	लिंग अनुपात (शहरी)	लिंग अनुपात (बच्चे)[७]
हिंदू	80.46%	20.3%	931	65.1%	40.4%	944	894	925
मुस्लिम	13.43%	36.0%	936	59.1%	31.3%	953	907	950
ईसाई	2.34%	22.6%	1009	80.3%	39.7%	1001	1026	964
सिख	1.87%	18.2%	893	69.4%	37.7%	895	886	786
बौद्ध	0.77%	18.2%	953	72.7%	40.6%	958	944	942
जैन	0.41%	26.0%	940	94.1%	32.9%	937	941	870
एनिमिस्ट, अन्य	0.65%	103.1%	992	47.0%	48.4%	995	966	976

भारत में प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए जनसंख्या का रुझान(१९५१–२०११):

धार्मिक समूह	जनसंख्या % १९५१	जनसंख्या % १९६१	जनसंख्या % १९७१	जनसंख्या % १९८१	जनसंख्या % १९९१	जनसंख्या % २००१	जनसंख्या % २०११[51]
हिन्दू धर्म	84.1%	83.45%	82.73%	82.30%	८१.५३%	८०.४६%	79.80%
इस्लाम	९.८%	१०.६९%	११.२१%	11.75%	१२.६१%	13.43%	14.23%
ईसाई धर्म	2.3%	2.44%	2.60%	2.44%	२.३२%	2.34%	2.30%
सिख धर्म	1.79%	1.79%	1.89%	1.92%	१.९४%	1.87%	1.72%
बौद्ध धर्म	0.74%	0.74%	0.70%	0.70%	०.७७%	0.77%	0.70%
जैन धर्म	0.46%	0.46%	0.48%	0.47%	०.४०%	0.41%	0.37%
पारसी धर्म	0.13%	0.09%	0.09%	0.09%	०.०८%	0.06%	n/a
अन्य धर्म / कोई धर्म नहीं	०.८%	0.8%	0.41%	0.42%	०.४४%	0.8%	0.9%

निष्कर्ष:

कानून:

भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक "सम्प्रभु समाजवादी पन्थनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" घोषित किया गया है। प्रस्तावना में पन्थनिरपेक्ष शब्द को 1976 में बयालीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। यह सभी धर्मों व पन्थों के प्रति सहनशीलता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म या पन्थ नहीं है; यह किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के अधिकार को प्रदान करता है। किसी भी सरकार समर्थित स्कूल में कोई धार्मिक अनुदेश नहीं दिया जाता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि पन्थनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान एक दिशासूचक सिद्धान्त (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल) के रूप में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) का भी सुझाव देता है। हालाँकि अब तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि दिशानिर्देशक सिद्धान्त संवैधानिक रूप से अप्रवर्तनीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि समान आचार संहिता को एक बार में ही लागू करना देश की अखण्डता के लिए नुकसानदायक हो सकता है और परिवर्तन को धीरे-धीरे करके लाना चाहिए (पन्नालाल बंसीलाल बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1996). महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायलय ने एक समान आचार संहिता लाने के लिए सरकार के खिलाफ एक रिट ऑफ़ मैंडेमस (परमादेश) को खारिज कर दिया था और इस प्रकार इसको लाने की जिम्मेदारी विधायिका पर डाल दी। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान एक दिशासूचक सिद्धान्त (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल) के रूप में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) का भी सुझाव देता है। हालाँकि अब तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि दिशानिर्देशक सिद्धान्त संवैधानिक रूप से अप्रवर्तनीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि समान आचार संहिता को एक बार में ही लागू करना देश की अखण्डता के लिए नुकसानदायक हो सकता है और परिवर्तन को धीरे-धीरे करके लाना चाहिए (पन्नालाल बंसीलाल बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1996). महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायलय ने एक समान आचार संहिता लाने के लिए सरकार के खिलाफ एक रिट ऑफ़ मैंडेमस (परमादेश) को खारिज कर दिया था और इस प्रकार इसको लाने की जिम्मेदारी विधायिका पर डाल दी। प्रमुख धार्मिक समुदाय जो भारत में आधारित नहीं हैं, वे अभी भी अपने निजी कानूनों का ही पालन कर रहे हैं। जहाँ मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के उनके स्वयं के निजी कानून हैं; हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिख लोग

'हिन्दू पर्सनल लॉ' नामक एक निजी कानून द्वारा शासित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (बी) में कहा गया है कि हिन्दुओं में "सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों" को भी शामिल किया जायेगा।[56] इसके अलावा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, जैनियों, बौद्ध, तथा सिखों की कानूनी स्थिति को इस प्रकार परिभाषित करता है - कानूनी रूप से हिन्दू परन्तु "धर्म के आधार पर हिन्दू" नहीं। भारत के पन्थनिरपेक्ष ("नागरिक") कानून के तहत आने वाला एकमात्र भारतीय धर्म ब्रह्मोइज्म है, जो 1872 के अधिनियम से प्रारम्भ होता है। (As per Bourdieu, P. (1990). *In other words: essays towards a reflexive sociology.* Stanford University Press.)

आगे की राह :रीति-रिवाज:

गर्मी मानसून के दौरान उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर एक पूजा का प्रदर्शन.

भारतीयों की एक विशाल संख्या दैनिक आधार पर कई रीति-रिवाजों का पालन करती है।अधिकांश हिंदू अपने घर में ही धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।हालांकि, रीति-रिवाजों का पालन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, गावों, तथा व्यक्तियों के बीच काफी अलग हो सकता है। श्रद्धालु हिंदू जन कुछ कामों को दैनिक रूप से करते हैं, जैसे कि, सुबह-सुबह स्नान करने के बाद पूजा करना (जिसे आमतौर पर घर के किसी मंदिर में किया जाता है और सामान्यतः धूप-बत्ती जलाने के बाद भगवान की मूर्ति को भोग लगाया जाता है), धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना और देवताओं की स्तुति करना, आदि। शुद्धता और प्रदूषण के बीच विभाजन, धार्मिक रीति-रिवाजों की एक उल्लेखनीय विशेषता है। धार्मिक कृत्यों में यह मानकर चला जाता है कि उसको करने वाले में कुछ अशुद्धि अथवा कलंक अवश्य मौजूद है, जिसे धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या पहले समाप्त या दूर किया जाना चाहिए। जल द्वारा शुद्धीकरण, अधिकांश धार्मिक कृत्यों का एक अभिन्न अंग है।अन्य विशेषताओं में शामिल हैं बलिदान के

सद्प्रभाव में विश्वास तथा स्वयं को लायक बनाने की इच्छा, जिसे धीरे-धीरे सत्कर्मों और दान द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो परलोक में होने वाले कष्टों को कम करने में मदद करता है। श्रद्धालू मुसलमान मस्जिद द्वारा अजान दिए जाने पर निश्चित समय पर दिन में पांच बार नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के पहले उन्हें स्वयं को वज़ू द्वारा शुद्ध करना होता है, जिसमें शरीर के आमतौर पर खुले रहने वाले अंगों को धोना शामिल होता है। सच्चर समिति के एक ताजा अध्ययन में पाया गया कि 3-4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आहार संबंधी आदतों पर धर्म का काफी प्रभाव पड़ता है। लगभग एक तिहाई भारतीय शाकाहारी हैं; बौद्ध धर्म के समर्थक अशोक के शासनकाल में इसको काफी प्रचार मिला। शाकाहारी भोजन ईसाइयों तथा मुसलमानों के बीच अधिक प्रचलित नहीं है। जैन धर्म की सभी संप्रदायों और परंपराओं में सभी भिक्षुओं तथा जन-साधारण के लिए शाकाहारी होना आवश्यक है। हिंदू धर्म में गोमांस खाना वर्जित है जबकि इस्लाम में सूअर का मांस खाना वर्जित है। (As per Bambrick, H. (2018). Resource extractivism, health and climate change in small ands. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, *10*(2), 272-288.)

संदर्भ: (References)

1. Bambrick, H. (2018). Resource extractivism, health and climate change in small islands. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, *10*(2), 272-288.
2. Beck, U. (1992). *Risk society towards a new modernity*. Sage Publications.
3. Bennett, N., Whitty, T., Finkbeiner, E., Pittman, J., Bassett, H., Gelcich, S., and Allison, E. (2018). Environmental stewardship: a conceptual review and analytical framework. *Environmental Management*, *61*, 597-614.
4. Bond, C. and Singh, D. (2020). More than a refresh required for closing the gap of Indigenous health inequality. *Medical Journal of Australia*, *212*(5), 198-199.
5. Bourdieu, P. (1990). *In other words: essays towards a reflexive sociology*. Stanford University Press.
6. Bray, G. (1930). The story of leprosy at Nauru. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, *23*(9), 1370-1374.